यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक देहरादून**, के माह 03/2016 से 07 /2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय त्यागी व श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21/08/2018 से 25/08/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवन्द्र दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाक -17/03/2016 से 28/03/2016 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गयी थी जिसमे माह 08/2014 से 02/2016 तक की अवधि की लेखा परीक्षा की गयी । वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः छात्र / छात्राओ को तीन वर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाता हें। संस्था शिमला बाईपास रोड से 1.5 Km की दूरी ,रेलवे स्टेशन से 7.5 km तथा ज़िला मुख्यालय से 7.5 km पर स्थित है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु. लाख मे)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि. (+)	बचत
		प्रा.शे.	आवंटन	व्यय	प्रा.शे.	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	-	285.68	285.67	-	87.83	87.79	-	0.05
3	2016-17	-	298.46	297.85	-	77.32	77.30	-	0.63
4	2017-18	-	373.90	372.05	-	91.82	90.74	-	2.93
5	2018-19 (07/2018 तक)		610.26	239.17	-	69.60	36.87	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु. में)

वर्ष				**प्राप्त धनराशि (रु. में)**			
	HEAD OF ACCOUNT	BUDGET PROVISION	प्रा॰ शेष	आवंटन	व्यय	बचत	PLA/BANK
2015-16	CDTP	-	522018	1500000 +15890	1010504.50	1027403.50	-0
	COMMUNITY COLLEGE	-	4160619	1950000	978347	5132272	NIL
	.PMKVY	---------	0	0	0	0	0
2016-17	CDTP	-	1027403.5	800000	940590	886813.50	0
	COMMUNITY COLLEGE	-	5132272	0	3893539	1238733	0
	PMKVY	……	0	0	o	o	0
2017-18	CDTP	----------	886813,50	0	714719.17	172094	0
	COMMUNITY COLLEGE	----------	1238733	2820000	839095	3219638	0
	PMKVY	-	0	494055	241124.65	252930.35	0
2018-19/(07/18)तक	CDTP	-	172094.33	900000.00	255223.39	816870.94	
	COMMUNITY COLLEGE	-	3219638.00	-	661567.39	2558070.61	
	PMKVY	-	252930.35	-	98551.39	154378.96	

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(iv) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी "सी" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

अपर मुख्य सचिव

↓

प्रभारी सचिव

↓

अपर सचिव

↓

निदेशक तकनीक शिक्षा

↓

अपर निदेशक

↓

सयुक्त निदेशक

↓

प्रधानाचार्य

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में राजकीय पॉलीटेक्निक, देहारादून की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, एवं 11/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii)

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-2ब</u>

प्रस्तर-1- ₹ 98.97 लाख की धनराशि के महिला छात्रावास निर्माण मे अलाभकारी व्यय।

भारत सरकार द्वारा संचालित " submission on Polytechnics under Coordinated Action for skill development योजना के अन्तर्गत construction of womans hostel in polytechnics" हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 वी योजना अवधि (मार्च-12) मे देश के 500 Polytechnics को 01 करोड़ की प्रति संस्था धनराशि उपलब्ध कराई थी, निर्धारित धनराशि से अधिक व्यय राज्य सरकार /संस्था को वहन करना था। इकाई द्वारा वर्ष 2011-12 मे प्रारम्भ करके महिला छात्रावास 50 सीटर(शैया-युक्त) का निर्माण कराया था जिसका हस्तांतरण दिनाक-16/10/15 को निर्माण एजेंसी द्वारा कॉलेज को किया गया था। संप्रेक्षा द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक देहारादून के छात्रावास से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया था कि कॉलेज द्वारा भवन का अपूर्ण स्थिति मे कब्जा प्राप्त किया था जिसमे निर्माण एजेंसी द्वारा छात्रावास का स्थलीय विकास कार्य, चारदीवारी ,आंतरिक साज-सज्जा एवं अध्ययन हेतु प्रकाश व्यवस्था आदि का कार्य अपूर्ण था। आगे संप्रेक्षा मे पाया गया कि महिला छात्रावास मे कई important कार्य अपूर्ण थे, फिर भी कॉलेज द्वारा बिल्डिंग का अधिग्रहण किया था। संप्रेक्षा द्वारा आगे जांच मे पाया गया था कि हस्तांतरण तिथि - 16/10/15 से संप्रेक्षा तिथि(07/2018) तक महिला छात्रावास मे किसी भी छात्रा के अभिभावक द्वारा कोई पंजीकरण/आवेदन महिला छात्रावास मे रहने हेतु नहीं किया था। इस और लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा जो सूचना संप्रेक्षा को उपलब्ध करायी गई थी उनके साथ कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं इकाई द्वारा संप्रेक्षा को अवगत कराया गया है कि छात्रावास के अधूरे कार्यो को निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्ण न करने के कारण वर्तमान मे छात्रावास का उपयोग नहीं हो पाया है एवं DPR मे TAC द्वारा पूर्व संदर्भित कार्यो मे अधूरे पड़े कार्यो का विवरण अंकित /शामिल नहीं था इसलिए कार्यो को पूर्ण मानते हुऐ छात्रावास का अधिग्रहण किया था एवं संप्रेक्षा को इकाई द्वारा अधूरे पड़े कार्यो की अद्यतन भौतिक एवं कार्य समापन रिपोर्ट एवं हस्तांतरण रिपोर्ट शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी ।

इकाई का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं है क्योंकि महिला छात्रावास के अपूर्ण हालत मे अधिग्रहण करने से छात्रावास रहने व सुरक्षा की नजर से खरतनाक था। अतः भारत सरकार का ₹ 98.97 लाख की धनराशि का व्यय अलाभकारी रहा। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- ₹1.15 लाख की धनराशि के अग्रिमों का समायोजन न करने के संबंध मे ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक नियम 162(7) & (10) मे स्पष्ट है कि सामान की पूर्ति करने वालो को अग्रिम भुगतान करने के लिए जो अधिकारी धन निकालेगा वही उसके समायोजन का ज़िम्मेवार होगा। इसके लिए उसके द्वारा अग्रिम धन का समायोजन एक माह के अंदर या वित्तीय वर्ष के अंत तक अवश्य हो जाना चाहिए। वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक नियम 162(10) मे स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के तीन माह अप्रैल,मई एवं जून में अग्रिम आहरण बिलों पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करेगा, कि पिछले वर्ष मे आहरित सभी अग्रिमों का समायोजन कर लिया जाएगा। संप्रेक्षा द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक देहरादून के अग्रिमों की पंजिका से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कॉलेज द्वारा संप्रेक्षा तिथि(07/18) तक निम्न लिखित अधिकारियो/कर्मचारियो को विभिन्न वर्षो में अग्रिम प्रदान किए गए थे, जिनका एक माह अथवा उस वित्तीय वर्ष जिसमें अग्रिम प्रदान किया गया था, में समायोजन नहीं हो पाया था, उनका विवरण निम्नवत हैं।

क्रम संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम	अग्रिम भुगतान की दिनाँक/वर्ष	अग्रिम की धनराशि(₹) मे
01	श्री गणेश रावत	31/12/2004	19100.00
02	श्री राकेश चमोली	22/08/2005	9500.00
03	श्री रीचा असवाल	18/09/17	800.00
04	DTE Srinagar	30/06/17	50250.00
05	श्री रीचा असवाल	16/01/18	30000.00
06	श्री शक्ति प्रसाद	12/07/17	5000.00
योग			₹ 114650.00

इस और लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा जो सूचना संप्रेक्षा को उपलब्ध करायी गई थी उनके साथ कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था मात्र संप्रेक्षा को अपने उत्तर मे यह अवगत कराया कि अग्रिमों के समायोजन की कारवाई संस्था स्तर पर गतिमान हैं, शीघ्र ही अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही कर ली जाएगी। संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इकाई स्तर पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक नियम 162(7) & (10) मे वर्णित प्रविधनों का पालन नहीं किया गया। ₹ 1.15 लाख की धनराशि के अग्रीमो के असमायोजन का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-1- कॉलेज द्वारा संप्रेक्षा तिथि (07/2018) तक अन्य संस्थाओं में स्थानान्तरण के पश्चात भी अधिकारियों/ कर्मचारियो को आवंटित आवासीय परिसरो के सापेक्ष HRA, जलकर, सीवर कर आदि से संबन्धित राजस्व की मार्केट रेट से कटोती से संबन्धित कार्यवाही न करने के सम्बंध में।

शासनादेश संख्या-2417(1)XXXII/2004 दिनाँक-16/11/2004 के अनुसार संस्तुति के क्रम मे प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक देहारादून के कार्यालय के आदेश संख्या-315-17/आवासीय भवन आवंटन/2012-2013 दिनाँक-14/06/2012 के द्वारा संस्था के आवासीय परिसर मे निर्मित आवासों का मानक किराया निर्धारित किया गया था। इकाई द्वारा रखरखाव किए जा रहे स्टाफ क्वार्टर से संबिन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा मे पाया गया कि राजकीय पॉलीटेक्निक देहरादून के आवासीयों भवनो मे स्थानान्तरण के पश्चात भी निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संस्था द्वारा आवंटित आवासीय परिसरों को संप्रेक्षा तिथि (07/2018) तक खाली (vacant) नहीं किया था, जिनका विवरण निम्नवत हैं -

क्रमसंख्या	**आवासीय परिसरो का टाइप**	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम**	**स्थानान्तरण संस्था**	**कार्य मुक्त करने की तिथि**	**आवंटन का आदेश संख्या**
01	टाइप/III	रवीन्द्र यादव	राजकीय पॉलीटेक्निक विकासनगर	05/02/14	892-94/दिनाँक-23/09/2010
02	टाइप/II	वीरेन्द्र सिंह तोमर	राजकीय पॉलीटेक्निक विकासनगर	24/05/2016	892-94/दिनाँक-23/09/2010
03	टाइप/III	अखिलेश नारायण तिवारी	राजकीय पॉलीटेक्निक आमवाला(वर्तमान मे राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक थलनदी)	04/07/2017	892-94/दिनाँक-23/09/2010
04	टाइप/IV	राजेश चौहॉन	राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक थलनदी)	08/06/2018	732/दिनाँक-24/09/2009
05	टाइप/II	शक्ति प्रसाद	राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक चिन्न्याली सौंड	13/06/2018	732/दिनाँक-24/09/2009

उपरोक्त प्रकरण मे जांच मे पाया गया है कि बिन्दु 01 से 03 तक अंकित कर्मचारियों द्वारा उनको आवंटित भवनो का vacatation उनको संस्था से स्थानान्तरण के 06 माह पूरे होने के बाबजूद भी संप्रेक्षा

तिथि तक नहीं किया गया था। संप्रेक्षा में यह भी पाया गया कि बिन्दु 01 से 03 तक अंकित कर्मचारियो से HRA, जलकर, सीवर कर आदि से संबन्धित किसी प्रकार की कटौती संस्था द्वारा उनके अन्य संस्था मे स्थानान्तरण होने' के कारण उनको आवंटित भवन से नहीं की जा रही है ,जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है । इस ओर लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा जो सूचना संप्रेक्षा को उपलब्ध करायी गई थी उनके साथ कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था ,केवल संप्रेक्षा को इतना अवगत कराया कि उनके अन्य संस्था मे स्थानान्तरण होने' के कारण उनको आवंटित भवन से कोई कटौती नहीं की जा रही है। संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि कॉलेज द्वारा HRA, जलकर, सीवर कर आदि से संबन्धित कटौती हेतु न तो कोई पत्र उक्त बिन्दु 01 से 03 तक अंकित कर्मचारियो के तैनाती स्थान को उनके paybill से कटौती हेतु कोई पत्र भेजा, न ही आवास खाली करने के संबंध मे उन्हे कोई नोटिस दिया था।

प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-2- धनराशि ₹ 3.66 की सामग्री को उपयोग में नहीं लाया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक पिथुवाला, देहरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 11/2016 से 03/2018 तक फर्नीचर, उपकरण एवं वर्कशॉप आइटम्स पर ₹ 3.66 लाख का व्यय किया गया था।

Sl. No.	Name of item	Date of purchase	Amount
1.	Workshop items	11/2016	34500
2.	-DO-	02.03.2017	35726
3.	Plastic Chairs	01/2017	3105
4.	Students Chairs	05/2017	164880
5.	Desktop	06/2017	11340
6.	Dry powder	Do	10216
7.	Workshop	03/2018	19942
8.	GI Pipe	03/2018	45688
9.	CRO	03/2018	28000
		Total	3,66,565/-

विभाग की Stock पंजिका के अनुसार उपरोक्त फर्नीचर एवं उपकरण 11/2016 से वर्तमान तक उपयोग में नहीं लाया गया। इस संदर्भ में सम्परीक्षा द्वारा विभाग से पूछे जाने पर कि किन कारणों से उपरोक्त फर्नीचर एवं उपकरण पिछडे 1½ वर्षों से स्टोर में unused पड़े है, विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि किसी कारणवश निर्गत नहीं किया जा सका अतः भविष्य में शीघ्र निर्गत करने की कार्यवाही कर दी जाएगी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कॉलेज द्वारा पहले ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, कि फर्नीचर एवं उपकरण का समय से स्टूडेंटस द्वारा लाभ लिया जा सके।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
414/2006-07	-	02	-
48/2012-13	-	01	-
86/2014-15	-	-	01
221/2015-16	-	02	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
414/2006-07पत्रांक स॰509 दि॰16/6/16 द्वारा भेज दी गई थी| पुन: उच्चाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी (संतुति के साथ)				
48/2012-13				
86/2014-15				
221/2015-16				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम / पदनाम	दिनांक
1.	श्री ए॰ के सक्सेना प्रधानाचार्य	02/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.